-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01. 2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	SATYA NARAYAN SINGH RAJAPUT	GOVT. PRIMARY SCHOOL JHANPA UPLA (483940)	DUNGARPUR	Teacher Level-1			Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AMARPURA (466497)(08290514701)	CHITTORGARH
2	SURESH CHAND MAHAWAR	GOVT. PRIMARY SCHOOL LIMBAKHEDA (469817)	PRATAPGARH	Teacher Level-1		Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHATI RAMNAGAR (407960)(08290418902)	BHAINSROADGA RH

Signature yalid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation District Education Officer

Date: 2023.10.97 20:17:44 IST

Reason: Approved
Page 1 of 3





3	KISHAN LAL SUMAN	GOVT. PRIMARY SCHOOL ANGARI FALA (481544)	DUNGARPUR	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JODHPURIYA (500400)(08290324401)	BEGUN
4	SANJAY KUMAR PORWAL	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAMBORI (412561)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANDAWALI (506115)(08291008601)	NIMBAHERA
5	PRABHU LAL MALI	GOVT. PRIMARY SCHOOL AMBA FALA (481418)	DUNGARPUR	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AANJAN KHEDA (465768)(08290707401)	BHOPAL SAGAR
6	RAM NIVAS GURJAR	GOVT. PRIMARY SCHOOL LEHNA (504778)	DUNGARPUR	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHOKHARIYA KHERI (505013)(08290900602)	BHADESAR
7	GHANSHYAM SWARNKAR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHIKRIYA KHERI (408210)	CHITTORGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SOMPUR B (487194)(08291202207)	BADI SADRI
8	VICHITRA TIWARI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KUNDAL GANAWA (502021)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PARLIYA (484660)(08290903001)	BHADESAR
9	JITENDRA SINGH RANAWAT	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAMBORI (412561)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	 Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LUHARIYA (505384)(08291213101)	BADI SADRI

Signature valid

Digitally signed by Kalmana Sharma
Designation District Education
Officer
Date: 2023.10.07 20:17:44 IST
Reason: Approved
Page 2 of 3



- इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आविण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- 2. किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144—क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपूर ।
- 6 निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर।
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य डाईट / प्रारम्भिक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।

10 संबंधित कामिक	10	संबंधित	कार्मिक		.
------------------	----	---------	---------	--	---

11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

Signature yalid

Digitally signed by Kalmana Sharma Designation District Education Officer Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved Page 3 of 3



-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	REE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAISINGHPURA (224387)	CHITTORGAR H	Teacher Level-2	English	Teacher Level-2	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARDANA (224320)(08290911101)	BHADESAR

Signature yalid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation District Education Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved
Page 1 of 2



- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आविण्टत किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- 2. किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा. इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144–क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित / लम्बे समय से अनुपस्थित / किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

दिनांक: 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपूर ।
- 6 निदेशक माध्यिमक / प्रारिम्भक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर।
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य डाईट / प्रारम्भिंक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक।

11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

Signature yalid

Digitally signed by Kalpana Sharma Designation District Education Officer Date: 2023.10.07, 20:17:44 IST

Date: 2023.10.0720:17:44

Reason: Approved
Page 2 of 2



-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	MANISHA AMETA	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAMBORI (412561)	PRATAPGARH	Prabodha k Level-2	Hindi	Senior Teacher	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NIMBAHERA (224371)(08291017203)	NIMBAHERA
2	RAM NIVAS MEENA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SURAJPURA (502120)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Teacher Level-2	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHAMTI KHERA (442956)(08290525103)	CHITTORGARH
3	MUKESH KUMAR SAINI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MAHUDIKHEDA (474738)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Senior Teacher	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADOLIGHATA (224342)(08291005604)	NIMBAHERA
4	SATISH KUMAR SHARMA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KANKARA (475833)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Teacher Level-2	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NO. 1 (483175)(08291218401)	BADI SADRI
5	SHAMBHU DAS VAISHNAV	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SEVANAGAR (472428)	PRATAPGARH	Level-2	Hindi	Teacher	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMANCHA (224099)(08290314601)	BEGUN
6	CHHOGA LAL GADRI	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GUNDALPUR (410645)	CHILIONGANH	Hgarl Hevel-2ne	n illiul 🖊	Valle Vel-2 Sharm	Hindi a	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KUNDALIYA (484707)(08290423101)	BHAINSROADGA RH

Designation District Education

Officer

Date: 2023.10.07 0:17:44 IST

Reason: Approved Page 1 of 2



- इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144–क के तहत शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि-माध्य / संस्था. / टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन / 2023 /

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपूर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपूर। 2
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपूर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर । 5
- निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर। 7
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य डाईट / प्रारम्भिंक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- संबंधित कार्मिक।
- रक्षित पत्रावली। 11

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

Signature valid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation District Education Officer Date: 2023.10.07 0:17:44 IST

Reason: Approved Page 2 of 2



-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्देष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01. 2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07. 2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07. 2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	CHAMPA LAL	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KITKHEDA (482953)	CHITTORGARH	Teacher Level-2	Sanskrit	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ANANDO KA KHEDA (410609)(08291203101)	BADI SADRI
2		GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL VELVI (474744)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Sanskrit	Senior Teacher	General	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHATARPURA NARELA (404793)(08290520502)	CHITTORGARH
3	KUMAR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LALPURA (487076)	CHITTORGARH	Teacher Level-2	Sanskrit	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TALAU (466535)(08290805001)	DUNGLA

Signature yalid

Digitally signed by Kalmana Sharma Designation District Education Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved
Page 1 of 2



- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- 2. किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144–क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
- 4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- 5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि—माध्य/संस्था./टीएसपी—नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 3 निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़/उदयपुर/बांसवाड़ा/डूंगरपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य डाईट / प्रारम्भिक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.: 4868845

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

Signature yalid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation District Education Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved Page 2 of 2



-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2018—पार्ट—02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या — 981/2022 चेतराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 दिनांक 28.01. 2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ—6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी—नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	RAMESH CHANDRA CHOUDHARY	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NAYAGHAR (504388)	PRATAPGARH		Social Studies	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ANANDO KA KHEDA (410609)(08291203101)	BADI SADRI

शर्ते :-

- 1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- 3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होनें विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144—क के तहत् शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।

Signature yalid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation District Education Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved Page 1 of 2





- उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित / लम्बे समय से अनुपस्थित / किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
- कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांकः जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपूर ।
- निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ / उदयपुर / बांसवाड़ा / डूंगरपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य डाईट / प्रारम्भिंक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।

10	संबंधित	कार्मिक	
----	---------	---------	--

रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

Signature valid

Digitally signed by Kalrana Sharma Designation District Education Officer Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved Page 2 of 2

